राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी (SSAAT)
कमरा नं. 8232, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर
email Id: dir.socialaudit@rajasthan.gov.in & Phone No. 0141-2227033

क्रमांकः F.61(02)SSAAT/GBMeeting/2019-20 / 3807 दिनांकः 5/12/2025

शासी निकाय (Governing Body) की चतुर्थ बैठक का कार्यवाही विवरण

दिनांक 03.12.2025 को श्रीमान् मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी की अध्यक्षता में 'चिंतन' कक्ष सचिवालय जयपुर में शासी निकाय की चतुर्थ बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्न पदाधिकारीगण/प्रतिनिधिगण उपस्थित हुएः–

1.	श्रीमती श्रेया गुहा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग,	पदेन उपाध्यक्ष
2.	श्री सतीश कुमार, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान	सदस्य
3.	श्री राजन विशाल, शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग	सदस्य
4.	श्री पी. रमेश, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग	सदस्य
5.	श्री जोगा राम, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग	सदस्य
6.	श्रीमती पुष्पा सत्यानी, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा, शासन सचिवालय	सदस्य सचिव
7.	श्री आशीष मोदी, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य
8.	श्री साँवर मल वर्मा, निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)	सदस्य

बैठक के प्रारंभ में अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं उपाध्यक्ष शासी निकाय द्वारा सोसायटी गठन के बारे में परिचय देते हुए इसके उद्देश्यों, कार्य क्षेत्र आदि बाबत विधिक प्रावधान एवं भारत सरकार के दिशा–निर्देशों की विस्तृत जानकारी से अवगत कराया गया। तत्पश्चात् बैठक के विचारणीय बिन्दुओं पर गहन विचार विमर्श कर बाद चर्चा एजेण्डावार निम्नानुसार निर्णय लिये गये।

विचारणीय बिन्दु संख्या 4.1

Signature valid
Digitally signed by Pushpa Satyani
Designation : Secretary to Government and Commissioner
Date: 2025.12.05 15:31:15 IST
Reason: Approved

शासी निकाय की तृतीय बैठक दिनांक 04.11.2022 की कार्यवाही विवरण की पुष्टि

शासी निकाय की तृतीय बैठक दिनांक 04.11.2022 की कार्यवाही विवरण [illegible] एवं विचार विमर्श के बाद शासी निकाय द्वारा इसकी पुष्टि की गई।

विचारणीय बिन्दु संख्या 4.2

शासी निकाय की तृतीय बैठक दिनांक 4.11.2022 के निर्णयों की कियान्विति रिपोर्ट (ActionTaken Report -ATR) का अवलोकन

सदस्य सचिव द्वारा तृतीय बैठक में लिये गये सभी निर्णयों की अनुपालना का अवलोकन कराया गया एवं की गई कार्यवाही बाबत विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। शासी निकाय द्वारा निर्णयों की क्रियान्विति पर संतोष व्यक्त करते हुए अनुमोदन किया गया। अध्यक्ष महोदय शासी निकाय द्वारा निकाय की बैठक नियमित रूप से आयोजित करवाने के निर्देश दिये गये।

विचारणीय बिन्दु संख्या 4.3

सोसायटी की कार्यकारी समिति (Executive Committee) की दिनांक 11.08.2025 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण व इस बैठक में लिये गये निर्णयों का अवलोकन एवं अनुमोदन

सदस्य सचिव द्वारा सोसायटी की कार्यकारी समिति की दिनांक 11.08.2025 को आयोजित हुई पंचम बैठक में लिये गये निर्णयों व इन पर की गई कार्यवाही बाबत अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। शासी निकाय द्वारा कार्यकारी समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों व प्रस्तुत अनुपालना रिपोर्ट पर संतोषप्रद अनुमोदन किया गया।

विचारणीय बिन्दु संख्या 4.4

सोसायटी द्वारा वर्ष 2023—24, 2024—25 व 2025—26 में महात्मा गॉधी नरेगा योजना के तहत सम्पादित सामाजिक अंकेक्षण कार्यों की प्रगति का अवलोकन

सोसायटी द्वारा वर्ष 2023—24, 2024—25 व 2025—26 में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत सम्पादित सामाजिक अंकेक्षण कार्यों की प्रगति का अवलोकन किया गया। प्रधान महालेखाकार, राजस्थान द्वारा भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत का वर्ष में दो बार सामाजिक अंकेक्षण किये जाने की सुनिश्चितता करने का अनुरोध किया गया। निदेशक (SSAAT) द्वारा भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों के क्रम में माह अक्टूबर 2025 से उक्त योजना का सामाजिक अंकेक्षण पंचायत निर्णय एप के माध्यम से कराये जाने की जानकारी दी गई। शासी निकाय की ओर से निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता पूर्ण सामाजिक अंकेक्षण करवाये जाने व सामाजिक अंकेक्षण में वर्णित इश्यूज पर प्रभावी कार्यवाही करवाये जाने के निर्देश दिये गये।

Signature valid

Digitally signed by Pushpa Satyani
Designation : Secretary to Government and Commissioner
Date: 2025.12.05 15:31:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
19190457

<u>विचारणीय बिन्दु संख्या 4.5</u>

<u>सोसायटी द्वारा वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 में महात्मा गाँधी नरेगा योजना के अलावा विभिन्न योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण की प्रगति का अवलोकन</u>

सोसायटी द्वारा वर्ष 2023–24 व 2024–25 में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, 15वां वित्त आयोग, मिड–डे–मील योजना तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) के तहत संचालित वृद्धाश्रम एवं IRCA के तहत संचालित नशा मुक्ति केन्द्र, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना श्रेष्ठा (SHRESHTA) के तहत संचालित आवासीय विद्यालय व प्री मेट्रिक व पोस्ट मेट्रिक छात्रवृति, अनुसूचित जाति/जनजाति के विरूद्ध हुई ज्यादती के मामले, अर्न्तजातीय विवाह से संबंधित प्रकरण, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की ओर से दिये गये ऋण के मामले व ट्रांसजेन्डर के लिये गरिमा गृह संस्थाओं के सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। शासी निकाय द्वारा सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट वर्णित इश्यूज के संबंध में संबंधित विभागों से ठोस अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त करने व रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त योजनाओं में हुए नीतिगत परिवर्तन के संबंध में आगामी शासी निकाय की बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

<u>विचारणीय बिन्दु संख्या 4.6</u>

<u>महात्मा गाँधी नरेगा योजना के अलावा निम्न योजनाओं का वर्ष 2025–26 में सामाजिक अंकेक्षण कराने का अनुमोदन</u>

सोसायटी की ओर से वर्ष 2025–26 में विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0, समग्र शिक्षा योजना, भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल की योजनाओ (BOCW) व सामाजिक सुरक्षा पैंशन व सहायता योजना (NSAP) का सामाजिक अंकेक्षण किया जाना है। शासी निकाय द्वारा संबंधित विभाग से वांछित सूचना अविलम्ब प्राप्त कर इसी वित्तीय वर्ष में सामाजिक अंकेक्षण करवाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

<u>विचारणीय बिन्दु संख्या 4.7</u>

<u>राज्य के विभिन्न जिलो में लोकपाल के चयन एवं नियुक्ति की प्रगति का अवलोकन एवं अनुमोदन</u>

Signature valid
Digitally signed by Pushpa Satyani
Designation: Secretary to Government and Commissioner
Date: 2025.12.05 15:31:15 IST
Reason: Approved

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि 10 जिलों में माह जून 2025 में लोकपाल नियुक्त किये गये। 19 जिलों में राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा तैयार किये गये पैनल के संबंध में सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने के बाद नियुक्ति आदेश जारी करने की कार्यवाही की जायेगी। 04 जिलों (करौली, टोंक, अजमेर एवं अलवर) में पुनः आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। पात्र

आवेदकों के साक्षात्कार राज्य चयन समिति की ओर से माह दिसम्बर 2025 में किया जाना प्रस्तावित है। शासी निकाय द्वारा 19 जिलों में नियुक्ति आदेश शीघ्र जारी करने व शेष रहे 04 जिलों में नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया शीघ्र करवाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

विचारणीय बिन्दु संख्या 4.8

सोसायटी के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2022–23 का अवलोकन एवं अनुमोदन

शासी निकाय द्वारा सोसायटी के वर्ष 2022– 23 के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

विचारणीय बिन्दु संख्या 4.9

सोसायटी के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2023–24 का अवलोकन एवं अनुमोदन

शासी निकाय द्वारा सोसायटी के वर्ष 2023–24 के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया। प्रधान महालेखाकार, राजस्थान द्वारा सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट में वर्णित इश्यूज में प्रकरणों की संख्या का उल्लेख किये जाने का अनुरोध किया गया।

विचारणीय बिन्दु संख्या 4.10

सोसायटी द्वारा वित्त विभाग को वर्ष 2022–23, 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 हेतु प्रस्तुत बजट प्रस्ताव एवं संशोधित बजट प्रस्तावों तथा स्वीकृत बजट के विरूद्ध किये गये व्यय का अनुमोदन

सोसायटी की ओर से वर्ष 2022–23 में व्यय की गई राशि रू. 654.36 लाख, वर्ष 2023–24 में राशि रू. 1131.00 लाख, वर्ष 2024–25 में राशि रू. 838.88 लाख एवं वर्ष 2025–26 में दिनांक 30.11.2025 तक व्यय की गई राशि रू. 985.06 लाख के संबंध में बाद विचार विमर्श शासी निकाय द्वारा अनुमोदन किया गया।

विचारणीय बिन्दु संख्या 4.11

सनदी लेखाकार (Chartered Accountant) की वर्ष 2022–23 हेतु की गई नियुक्ति एवं दिये गये पारिश्रमिक का अनुमोदन

वर्ष 2022–23 के लेखों के अंकेक्षण हेतु नियुक्त किये गये सनदी लेखाकार अजय कुमार विजयवर्गीय एण्ड एसोसिएटस चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट कम्पनी को दिये गये कार्यादेश दिनांक 01.09.2023 राशि रू. 20999/– का बाद विचार विमर्श शासी निकाय द्वारा अनुमोदन किया गया।

Signature valid

Digitally signed by Pushpa Satyani
Designation : Secretary to Government and Commissioner
Date: 2025.12.05 15:31:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
19190457

विचारणीय बिन्दु संख्या 4.12

सनदी लेखाकार द्वारा सोसायटी के वर्ष 2022–23 हेतु किये गये लेखों के अंकेक्षण की रिपोर्ट का अवलोकन एवं अनुमोदन

सनदी लेखाकार द्वारा संधारित लेखों के अंकेक्षण के संबंध में नियुक्त सनदी लेखाकार मै0 अजय कुमार विजयवर्गीय एण्ड एसोसिएटस चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट कम्पनी द्वारा प्रस्तुत अंकेक्षण रिपोर्ट दिनांक 28.09.2023 का अवलोकन बाद विचार विमर्श अनुमोदन किया गया।

विचारणीय बिन्दु संख्या 4.13

सनदी लेखाकार (Chartered Accountant) की वर्ष 2023–24 हेतु की गई नियुक्ति एवं दिये गये पारिश्रमिक का अनुमोदन

वर्ष 2023–24 के लेखों के संधारण हेतु नियुक्त किये गये सनदी लेखाकार मै0 ABH & Company, Chartered Accountant को दिये गये कार्यादेश दिनांक 06.09.2023 राशि रू. 360000/–सभी करों सहित व संधारित लेखों के अंकेक्षण हेतु नियुक्त किये गये सनदी लेखाकार मै0 अजय कुमार विजयवर्गीय चार्टड अकाउन्टेन्ट को दिये गये कार्यादेश दिनांक 11.09.2024 राशि रू. 30000/– जीएसटी सहित का अवलोकन कर बाद विचार विमर्श शासी निकाय द्वारा अनुमोदन किया गया।

विचारणीय बिन्दु संख्या 4.14

सनदी लेखाकार द्वारा सोसायटी के वर्ष 2023–24 हेतु किये गये लेखों के अंकेक्षण की रिपोर्ट का अवलोकन एवं अनुमोदन

सनदी लेखाकार द्वारा संधारित लेखों के अंकेक्षण के संबंध में नियुक्त सनदी लेखाकार मै0 अजय कुमार विजयवर्गीय एण्ड एसोसिएटस चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट कम्पनी द्वारा प्रस्तुत अंकेक्षण रिपोर्ट दिनांक 24.09.2024 का अवलोकन बाद विचार विमर्श अनुमोदन किया गया।

विचारणीय बिन्दु संख्या 4.15

सनदी लेखाकार (Chartered Accountant) की वर्ष 2024–25 हेतु की गई नियुक्ति एवं दिये गये पारिश्रमिक का अनुमोदन

वर्ष 2024–25 के लेखों के संधारण हेतु नियुक्त किये गये सनदी लेखाकार मै0 Brijesh Agarwal & Associates, Chartered Accountant को दिये गये कार्यादेश दिनांक 29.08.2024 राशि रू. 375000/–+GST व संधारित लेखों के अंकेक्षण हेतु नियुक्त किये गये सनदी लेखाकार ABH & Company, Chartered Accountant दिये गये कार्यादेश दिनांक 18.08.2025 राशि रू. 30000/– सभी करों सहित का अवलोकन कर बाद विचार विमर्श शासी निकाय द्वारा अनुमोदन किया गया।

Signature valid
Digitally signed by Pushpa Satyani
Designation : Secretary to Government and Commissioner
Date: 2025.12.05 15:31:15 IST
Reason: Approved

विचारणीय बिन्दु संख्या 4.16

सनदी लेखाकार द्वारा सोसायटी के वर्ष 2024–25 हेतु किये गये लेखों के अंकेक्षण की रिपोर्ट का अवलोकन एवं अनुमोदन

सनदी लेखाकार द्वारा संधारित लेखों के अंकेक्षण के संबंध में नियुक्त सनदी लेखाकार ABH & Company, Chartered Accountant द्वारा प्रस्तुत अंकेक्षण रिपोर्ट दिनांक 27.10.2025 का अवलोकन कर बाद विचार विमर्श अनुमोदन किया गया।

विचारणीय बिन्दु संख्या 4.17

सनदी लेखाकार (Chartered Accountant) की वर्ष 2025–26 हेतु की गई नियुक्ति एवं दिये गये पारिश्रमिक का अनुमोदन

वर्ष 2025–26 के लेखों के संधारण हेतु नियुक्त किये गये सनदी लेखाकार मै0 Brijesh Agarwal & Associates, Chartered Accountant को दिये गये कार्यादेश दिनांक 24.06.2025 राशि रू. 397000/–+GST का अवलोकन कर बाद विचार विमर्श शासी निकाय द्वारा अनुमोदन किया गया।

विचारणीय बिन्दु संख्या 4.18

अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

1. शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वित्त विभाग में अंकेक्षण संबंधी कार्य शासन सचिव वित्त (व्यय) विभाग द्वारा संपादित किये जाते हैं ऐसी स्थिति में सोसायटी की शासी निकाय की बैठक में शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग के स्थान पर शासन सचिव वित्त (व्यय) विभाग को शासी निकाय के सदस्य के रूप में मनोनीत करवाया जाना उचित होगा। इस संबंध में शासी निकाय के अध्यक्ष महोदय द्वारा परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

2. शासन सचिव श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा उनके विभाग की योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण हेतु नियुक्त किये जाने वाले अंकेक्षकगण को समुचित मानदेय दिये जाने का प्रस्ताव दिया गया ताकि गुणवत्ता पूर्ण सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो सके।

3. शासी निकाय के अध्यक्ष महोदय द्वारा शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग एवं आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा तथा निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी को राज्य में चल रहे सामाजिक अंकेक्षण का नियमित रूप से निरीक्षण किये जाने व निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

Signature valid

Digitally signed by Pushpa Satyani
Designation : Secretary to Government and Commissioner
Date: 2025.12.05 15:31:15 IST
Reason: Approved

4. वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन के संबंध में प्रधान महालेखाकार राजस्थान की ओर से दिये गये सुझाव के क्रम में शासी निकाय द्वारा सोसायटी की ओर से वर्ष 2024–25 हेतु तैयार किये जाने वाले वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन में सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट में वर्णित इश्यूज मय कुल प्रकरणों की संख्या का भी उल्लेख किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

5. शासी निकाय के अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये शासी निकाय की आगामी बैठक में सोसायटी के लेखा संधारण एवं अंकेक्षण हेतु नियुक्त सनदी लेखाकार को भी आमंत्रित किया जावे।

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(पुष्पा सत्यानी)
शासन सचिव, ग्रा.वि.वि. एवं
पदेन सदस्य सचिव, शासी निकाय (G.B.)
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT),
शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः F.61(02)SSAAT/GBMeeting/2019-20 / 3807 **दिनांकः** 5/12/2025

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशेषाधिकारी, मुख्य सचिव महोदय एवं अध्यक्ष शासी निकाय SSAAT, शासन सचिवालय राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, वित (बजट) विभा•, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. शासन सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त एवं शासन सचिव पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT), शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली

शासन सचिव, ग्रा.वि.वि. एवं
पदेन सदस्य सचिव, शासी निकाय (G.B.)
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT),
शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

Signature valid
Digitally signed by Pushpa Satyani
Designation: Secretary to Government and Commissioner
Date: 2025.12.05 15:31:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
19190457